(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ) भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना संख्या 21/2019- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2019

सा.का.नि...... (अ.)- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 685 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्निलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में -

(i) क्रम संख्या 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--|-----------------------------|-------------------------|
| "11 | किसी म्यूजिक कम्पोजर, फोटोग्राफर, | म्यूजिक कम्पोजर, | सोंगीत कंपनी, |
| | आर्टिस्ट या इसी प्रकार के व्यक्ति द्वारा | फोटोग्राफर, आर्टिस्ट या इसी | प्रोड्यूसर या इसी |
| | किसी मूल ड्रामेटिक या म्यूजिकल या | प्रकार की | प्रकार के व्यक्ति, |
| | आर्टिस्टिक रचना से संबंधित कापी राइट | | जो कि कर वाले भू- |
| | एक्ट, 1957 की धारा 13 की उप धारा | सोंगीतकार, फोटोग्राफर, | क्षेत्र में अवस्थित हों |
| | (1) के उपवाक्य (क) के अंतर्गत आने | कलाकार और उसी प्रकार के | l " |
| | वाले कापीराइट का किसी सोंगीत कंपनी, | अन्य | |
| | प्रोड्यूसर या इसी प्रकार के व्यक्ति को | | |
| | अंतरण करने या उसके उपयोग की | | |
| | अनुमति देकर की जाने वाली सेवाओं की | | |
| | आपूर्ति । | | |

(ii) क्रम संख्या 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

| (1) | (2) | | | | (3) | (4) |
|------|------|------|--------|------|------|---|
| "11क | किसी | लेखक | द्वारा | अपने | लेखक | कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित प्रकाशक: |

मूल साहित्यिक रचना से संबंधित किसी प्रकाशक को कापीराइट एक्ट, 1957 की धारा 13 की उप धारा (1) के उपवाक्य (क) के अंतर्गत आने वाले कापीराइट का अंतरण करके या उसके प्रयोग की अनुमति देकर की जाने वाली सेवा की आपूर्ति

बशर्ते की इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी जहां कि,-

- (i) लेखक ने केंद्रीय वस्त् एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के तहत पंजीकरण लिया है, एवं अधिकार क्षेत्र वाले सीजीएसटी या एसजीएसटी आय्क्त, जैसी भी स्थिति हो के समक्ष अन्बंध । में दिए गए प्रपत्र में, उसमें निर्धारित समय-सीमा के भीतर, यह घोषणा की हो कि वह कॉलम (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सेवा पर केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 9 (1) के अन्सार फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत केन्द्रीय कर का भ्गतान करने के विकल्प का प्रयोग करेगा और केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के सभी प्रावधानों का उसी प्रकार अन्पालन करेगा जैसा कि वह उस व्यक्ति पर लागू होते हैं जो कि किसी वस्त् या सेवा या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर का भ्गतान करने का दायित्व होता है और वह ऐसे विकल्प के प्रयोग किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उक्त विकल्प को वापस वापस नहीं लेगा ।
- (ii) लेखक प्रकाशक के समक्ष फॉर्म GST Inv-I में अपने द्वारा जारी किए गए इनवॉयस के अनुबंध-।। में निर्धारित घोषणा करेगा ।"

(iii) क्रम संख्या 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नितिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| "17 | किसी बॉडी कारपोरेट को | किसी बॉडी कारपोरेट से भिन्न कोई | ऐसा कोई बॉडी |
| | मोटर वाहन को किराए पर | व्यक्ति जो मोटर वाहनों को किराये पर | कारपोरेट जो कर |
| | प्रदान की गई सेवा | देने की सेवा पर 5% की दर से | वाले भू-क्षेत्र में |
| | | एकीकृत कर का भुगतान करता है तथा | अव्यवस्थित हो । |

2. यह अधिसूचना 01 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी ।

प्रपत्र

(सारणी के क्रम संख्या 11क)

(घोषणा जिसको कि, लेखक के द्वारा, किसी मूल साहित्यिक रचना के संबंध में कापीराइट एक्ट, 1957 की धारा 13 की उप धारा (1) के उपवाक्य (क) के अंतर्गत आने वाले कापीराइट के प्रयोग अथवा उसके उपभोग की किसी प्रकाशक को अंतरित किए जाने या उसकी अनुमति दिए जाने के माध्यम से किसी की गई सेवा की आपूर्ति पर फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान करने के विकल्प के प्रयोग के लिए, 1.11.2019 से प्रभावी होने के लिए 31.10.2019 को या उससे पहले तथा किसी वित्तीय वर्ष से प्रभावी होने के लिए उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के पहले किया जाना है।

| संदर्भ र | संख्या | तारीख |
|--------------|--|-------------------------------|
| सेवा में | , | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | (अधिकार क्षेत्र वाले आयुक्त को संबोधित किया जाना है) | |
| 1. | लेखक का नाम | |
| 2. | लेखक का पता | |
| 3. | लेखक का जीएसटीआईएन | |
| | घोषणा | |
| 1. | मैंने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का | 12) के तहत पंजीकरण ले लिया |
| | है, और मैं अधिसूचना संख्या 10/2017- एकीकृत कर (दर), | _ |
| | संख्या 11क के कॉलम (2) में दी गई निर्दिष्ट सेवा पर, स आ | ईजीएसटी अधिनियम की धारा 5 |
| | (1) के अनुसार, एकीकृत कर का भुगतान फारवर्ड चार्ज के उ | अंतर्गत करने विकल्प का प्रयोग |
| | करता हूं और एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2 | |
| | का उसी प्रकार के अनुपालन करूँगा, जैसा कि वे किसी सामान | |
| | के संबंध में कर का भ्गतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर | |
| 2. | मुझे यह भी पता है कि इस विकल्प को, एक बार प्रयोग करने | • • |
| | की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के भीतर परिवर्तन की अनुमति न | |
| | इसे स्वीकार किया गया है उस वर्ष के अगले वाले वित्तीय वर्ष | |
| | रहेगा । | , |
| | · | हस्ताक्षर |
| | | नाम |
| | - | ोएसटीआईएन |
| | অ | เรมดามรัฐ |
| ±π9π= | | |
| T MIM | | |

तारीख

(घोषणा जिसे इनवॉयस में उस लेखक के द्वारा की जानी है जिसने की फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत किसी मूल साहित्यिक रचना के संबंध में कापीराइट एक्ट, 1957 की धारा 13 की उप धारा (1) के उपवाक्य (क) के अंतर्गत आने वाले कापीराइट के प्रयोग या उसके उपभोग की किसी प्रकाशक को अंतरण या अनुमति दिए जाने के माध्यम से उक्त लेखक द्वारा की गई सेवा की आपूर्ति पर कर के भुगतान के विकल्प का चयन किया हो।

घोषणा

मैंने फॉरवर्ड चार्ज के तहत अधिसूचना संख्या 10/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 में सारणी के क्रम संख्या 11क के कॉलम (2) में दी गई निर्दिष्ट सेवा पर एकीकृत कर का भुगतान करने के विकल्प का उपयोग किया है।

[फाइल संख्या 354/136/2019- टीआरयू]

(रूचि बिष्ट) अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 10/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 685 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 5/2019- एकीकृत कर (दर) दिनांक 29 मार्च, 2019, सा.का.नि 258 (अ.) दिनांक 29 मार्च, 2019 के द्वारा संशोधन किया गया है।